



महालेखापरीक्षकको  
वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन  
२०७७  
गौमुल गाउँपालिका  
बाजुरा ।



महालेखापरीक्षकको कार्यालय  
काठमाडौं, नेपाल



महालेखापरीक्षकको कार्यालय  
Office of the Auditor General

प्रदेश नं.५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश, महानिर्देशनालय

नेपाल  
२०१६

Phone : 4258174

4266034

4255707

A.G.Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

पत्र संख्या: २०७६/७७

च.नं ४३९

मिति: २०७७/३/२६

श्री अध्यक्षज्यू,

गौमुल गाउँ कार्यपालिकाको, कार्यालय,

बाजुरा ।


विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस कार्यापालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजिम कारबाहीको लागि अनुरोध छ ।

.....  
2077/3/26  
(चन्द्रकान्त भण्डारी)  
नायब महालेखापरीक्षक

## महालेखापरीक्षकको भनाई

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक कारोवारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।



(टंकमणि शर्मा, दंगाल)  
महालेखापरीक्षक

स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीयतह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र निकायसंग सम्बन्धित ऐन नियम समेतको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्यहरूमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु रहेको छ । त्यसैगरी स्रोत साधनको प्राप्त र उपयोग सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भए पश्चात जारी प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रियाका विषयहरू मिलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सहितको अन्तिम प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहमा रहेको सीमित स्रोत साधनको उपयोग गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता, दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । फलस्वरूप स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुने विश्वास लिइएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट मूलतः स्थानीय तहमा प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय र राजश्व बाँडफाँडको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आयतर्फ संकलन न्यून रहेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, अवण्डा बजेट राखेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने गरेको, वर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, अत्यधिक प्रशासनिक खर्च गरेको, वितरणमुखी खर्चको बाहुल्यता रहेको जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माण तर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, साना तथा टुक्रे आयोजनाको छनौट गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, तोकिए बमोजिम जनसहभागिता नजुटेको, दिगो विकासका लक्ष्य अनुरूप योजना र कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको, दीर्घकालिन विकासको खाका तर्जुमा नभएको जस्ता समस्या रहेका छन् । स्थानीयतहको आन्तरिक व्यवस्थापन तर्फ आवश्यक सीपयुक्त जनशक्तिको कमी रहेको, सेवाप्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको, स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख नरहेको, संचालित योजना, कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, लेखांकन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्तरिक लेखापरीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । गतविगतमा लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू सुधार तथा बेरुजू उपर अपेक्षित रूपमा आवश्यक कारवाही भए गरेको समेत देखिएन ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको वावजुद यथासम्भव स्थानीयतहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भै लेखापरीक्षण गर्ने प्रयास गरिएको थियो । लेखापरीक्षणको क्रममा स्थानीयतहका प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको थियो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार हुने, भौतिक पूर्वाधार र सेवाप्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । आगामी दिनमा समेत यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

२०७७ आषाढ २६ गते ।



महालेखापरीक्षकको कार्यालय  
Office of the Auditor General

प्रदेश नं.५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम, महानिर्देशनालय

नेपाल  
२०१६

Phone : 4258174

4266034

4255707

A.G.Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाण्डौं, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

मिति : २०७३/३२६

पत्र संख्या : २०७६/७७

च.नं. : ४४०

श्री अध्यक्षज्यू,  
गौमुल गाउँपालिका, बाजुरा ।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

**कैफियत सहितको राय**

हामीले गौमुल गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वित्तिय विवरण र त्यससंग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेश भएको २०७६ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वित्तिय विवरण र त्यससंग सम्बन्धित अन्य विवरणले स्थानीय तहसंग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम सारभूत रुपमा सहि तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

**कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार**

१. पालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षणको ढाँचा प्रयोग गरी वित्तिय विवरण तयार गरेको छैन ।
२. लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड ३३ लाख ९० हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु. ७ लाख ३३ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु. ९३ लाख ७७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. ३ लाख ५४ हजार पेशकी बाँकी रु. १ करोड २९ लाख २६ हजार रहेको छ ।

३. लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरूका सम्बन्धमा मिति २०७६/०६/०२ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रिया सहितका प्रमाण कागजातका आधारमा फछ्यौट भएका दफाहरू हटाई कायम कायम व्यहोराको अन्तीम प्रतिवेदन पाना १४ यसैसाथ संलग्न छ ।

४. आम्दानी तथा खर्चको स्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेशकी बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकीन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसंग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसका लागि स्वीकृत आचार संहिता अनुसार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

**वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी**

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्लिका कारण वित्तीय विवरण सारभूत रुपमा गलत आँकडा रहित स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्यपालिका, गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गाउँपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

**वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी**

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्लि समेतका कारण सारभूत रुपमा गलत आँकडा रहित रहेको होस् भनि उचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्वस्तताले सामान्यस्तरको आश्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्लि पत्ता लगाउन सक्ने निश्चितता भने हुदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विषेश वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्लिलाई सारभूत रुपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।

.....  
(चन्द्रकान्त भण्डारी)  
नायब महालेखापरीक्षक

**गौमुल गाउँपालिका**  
**लेखापरीक्षण प्रतिवेदन**  
**२०७६/७७**

**परिचय :** स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायीक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न र स्थानीय सरकारको संचालन गर्न गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने हरेक कार्यमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चितता गरी नागरिकलाई लाभको वितरणमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो । यो गाउँपालिका अन्तर्गत ६ वडा रहेको, ३४ सभा सदस्य, ३.१५ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल, १०६९४ जनसंख्या र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित छ ।

**स्थानीय सञ्चित कोष:** स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ६९ र ७२ बमोजिम गौमुल गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको आय, व्यय अनुदान तथा सहायता र स्थानीय सरकार संचालन नभएका व्ययहरूको आय व्यय हिसावको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का समग्र संचित कोषको संक्षिप्त अवस्था निम्न बमोजिम रहेको छ ।

| आय तर्फ |   |             |              | क्र.सं. | व्ययतर्फ  |               |               |
|---------|---|-------------|--------------|---------|---|---------------|---------------|
|         | विवरण   | यस आवको रु. | गत आवको रु.  |         | विवरण   | यस आ.व.को रु. | गत आ.व.को रु. |
| १       | गत वर्षको जिम्मेवारी                              |             |              | १       | चालू खर्च   | ३९९९१०१४.२०   | १२४८७१८०२.६०  |
|         | धरौटी   | २०१४३९१.१७  |              | २       | पूजिगत खर्च                                       | ६०३११८८.९३    | ९१०६०६०८.७९   |
|         | बैंक  | १०७७३२५७.०० | ६६८०४३३.५७   | ३       | पूजिगत खर्च प्रदेश                                | ५६८७४९४.००    | २०००००.००     |
| २       | राजस्व (आन्तरिक आय)                               |             |              | ४       | वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी                         |               |               |
|         | आन्तरिक राजस्व                                    | ७४६६२२.८७   | ६०२८३५.७९    |         | ऋण भुक्तानी                                       |               |               |
|         | राजस्व बाँडफाँड                                   | ३५३६९५२४.११ | ०.००         |         | ब्याज भुक्तानी                                    |               |               |
|         | राजस्व बाँडफाँड प्रदेश                            | ३५७०९३.२२   |              | ५       | सशर्त अनुदान                                      |               |               |
| ३       | वित्तीय हस्तान्तरण                                |             |              |         | सशर्त अनुदान राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नविकरणीय उर्जा | ९७३०००.००     |               |
|         | वित्तीय समानीकरण अनुदान संघ                       | ६३३०००००.०० | ११४५२७०००.०० |         | सशर्त अनुदान कृषि                                 | १०८००००.००    |               |
|         | वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश                    | ६६०९०००.००  | ६५४४९०००.००  |         | सशर्त अनुदान पशु सेवा तर्फ कार्यक्रम              | १४६०००.००     |               |
|         | सशर्त अनुदान राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नविकरणीय उर्जा | ९७३०००.००   |              |         | सशर्त अनुदान वन तर्फ                              | १०००००.००     |               |
|         | सशर्त अनुदान कृषि                                 | १०८००००.००  |              |         | सशर्त अनुदान खेलकुद तर्फ                          | १०००००.००     |               |
|         | सशर्त अनुदान पशु सेवा तर्फ                        | १४६०००.००   |              |         | सशर्त अनुदान शिक्षा तर्फ                          | ५७४२६९९.००    |               |
|         | सशर्त अनुदान वन तर्फ कार्यक्रम                    | १०००००.००   |              |         | सशर्त अनुदान स्वास्थ्य तर्फ                       | २४२७५५२८.१२   |               |
|         | सशर्त अनुदान खेलकुद तर्फ कार्यक्रम                | १०००००.००   |              |         | सशर्त अनुदान नेपाल सरकार आर भि                    | १११६७०५८.००   |               |
|         | सशर्त अनुदान शिक्षा तर्फ                          | ५७४२६९९.००  |              |         | सशर्त अनुदान फिनलाण्ड सरकार                       | ११०४२७९७.००   |               |
|         | सशर्त अनुदान स्वास्थ्य तर्फ                       | २४२७५५२८.१२ |              |         | समपूरक अनुदान                                     | ११२२६०००.००   |               |
|         | सशर्त अनुदान नेपाल सरकार आर भि                    | १११६७०५८.०० |              |         | भोलगें पुल  | १६६९७९३.००    |               |
|         | सशर्त अनुदान फिनलाण्ड                             | ११०४२७९७.०० |              |         | गरिव संग विशेष्वर कार्यक्रम                       | ३६९०००.००     |               |
|         | समपूरक अनुदान                                     | ११२२६०००.०० |              |         | सामाजिम सुरक्षा कार्यक्रम                         | १३०६३४००.००   |               |
|         | विशेष अनुदान                                      |             | ४८००५०००.०   |         | बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम                       | १२३५०००.००    |               |
| ४       | सशर्त अनुदान                                      |             |              |         | निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम                  | ६२०००००.००    |               |
|         | भोलगें पुल  | १६६९७९३.००  |              |         | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम                    | ३२००५४१.००    |               |
|         | गरिव संग विशेष्वरकार्यक्रम                        | ३६९०००.००   |              |         | प्रदेश तथा स्थानिय तह क्षमता विकस कार्यक्रम       | ३०५०००.००     |               |
|         | सामाजिम सुरक्षा कार्यक्रम                         | १३०६३४००.०० |              |         | सेवा निर्वत संचित विदा                            | ४८२५०४.००     |               |
|         | बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम                       | १२३५०००.००  |              |         | सेवा निर्वत औषधी उपचार खर्च                       | ६५९७८.००      |               |
|         | निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम                  | ६२०००००.००  |              |         | प्रदेश सरकारबाट पोत्साहन भत्ता वापत               | ४७००००.००     |               |

|   |  |              |              |   |              |              |              |
|---|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
|   | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम               | ३२००५४९.००   |              |   |              |              |              |
|   | प्रदेश तथा स्थानिय तह क्षेमता विका कार्यक्रम | ३०५०००.००    |              | ६ | धरौटी        | १८०३९०९.९७   | २०९४३९९.९७   |
|   | सेवा निर्वत संचित विदा                       | ४८२५०४.००    |              | ७ | कोष खर्च     |              | ९८३३६००.७५   |
|   | सेवा निर्वत औषधी उपचार खर्च                  | ६५९७९८.००    |              | ८ | मौज्दात      |              | ९०७७३२५७.२२  |
|   | सडक बोर्ड                                    | ८०००००.००    |              |   | नगद मौज्दात  |              |              |
|   | प्रदेश सरकारबाट पोत्साहन भत्ता बापत          | ४७००००.००    |              |   | बैंक मौज्दात | ९३३९९३४०.६९  |              |
|   | विशेष अनुदान                                 |              |              |   |              |              |              |
| ५ | अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त                  |              | ४२५०००.००    |   |              |              |              |
| ६ | विषयगत निकायबाट प्राप्त रकम                  |              | २५००००       |   |              |              |              |
| ७ | धरौटी आय                                     | ९२७४९७५.००   | २०९४३९९.९७   |   |              |              |              |
| ८ | लगानीको साँवा फिर्ता                         |              |              |   |              |              |              |
| ९ | अन्य विविध आय                                |              | ८०००००.०     |   |              |              |              |
|   | जम्मा  | २६६४९९६०९.४९ | २३८७५३६६०.५३ |   | जम्मा        | २६६३६८४७७.९९ | २३८७५३६६०.५३ |

**राजस्वतर्फ:**

| क्र.सं. | शीर्षक नं. | लगत हसबली समेत रु. | दाखिला रु. | बाँकी रु. |      |
|---------|------------|--------------------|------------|-----------|------|
|         |            |                    |            | नगद       | बैंक |
| १       | १५९९९      | ९८३३६००.७५         | ९८३३६००.७५ |           |      |

| दफा नं. | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरु  | रकम     |                |         |  |  |  |  |
|---------|--|---------|----------------|---------|--|--|--|--|
| १.      | <b>आन्तरिक नियन्त्रण :</b> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम स्थानीय तहले कानूनबमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने र दफा ७८ बमोजिम सम्पादन गर्ने कार्यको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । वार्षिक खरिद योजना, नागरिक वडापत्र, सेवाग्राही मैत्री संरचना, मलेप फारम नं. २, भ्रमण अभिलेख खाता, खरिद इकाई गठन जस्ता कार्यमा कामको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार नगरेकोले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्विकृत गराई कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्दछ ।   |         |                |         |  |  |  |  |
| २.      | <b>वित्तीय विवरणको यथार्थता :</b> नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान अनुसार वित्तीय विवरणहरु, लेखानीति तयार गर्ने यो वर्ष स्वेच्छिक भएपनि २०७६/७७ देखि अनिवार्य रूपले तयार गर्नुपर्ने भएकोले तदनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्ने गरी लेखा राख्ने व्यवस्था हनुपर्दछ ।   |         |                |         |  |  |  |  |
| ३.      | <b>श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा :</b> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम यस गाउँपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका र बजेट सिमा निर्धारण गर्न ७ सदस्यीय समिति गठनको व्यवस्था छ । उक्त समितिले आयको प्रक्षेपण, सन्तुलित वितरणमा, बजेट सिमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण, बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन गर्नुपर्ने र कार्यपालिकामा पेश गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा ०७५।१।३० मा ७ सदस्यीय समिति गठन गरी सो अनुसार स्रोत अनुमान स्रोत अनुमान गरेको भएपनि पूर्णरूपले सन्तुलित बनाउने प्रयास गर्नु पर्ने देखियो ।   |         |                |         |  |  |  |  |
| ४.      | <b>सम्पत्ति लेखांकन :</b> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८१ गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्र भित्र परेका हाल विषयगत मन्त्रालय वा सरकारी निकायबाट संचालन भई आएका स्थानीय स्तरका कार्यालयका संरचना चल, अचल सम्पत्ती संरचना (कृषि, पशुसेवा, उपकेन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, आर्युर्वेद औषधालय, शिक्षा स्रोत केन्द्र र सामुदायिक सिकाई केन्द्र) विभिन्न योजनाबाट सम्पन्न खानेपानी सिचाई जस्ता विकास निर्माण आयोजना आदि गाउँपालिकामा स्वतः हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ । यसरी हस्तान्तरण हुने सम्पूर्ण सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत खाता २०७४ असार भित्र स्थानीय तहले तयार गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा रहेका यस्ता सम्पत्ति, आयोजना लगायतका संरचनाको लगत तयार गरी यस गाउँपालिकाले २०७६ असार मसान्त सम्म पनि सार्वजनिक गरेको देखिएन । गठन आदेश बमोजिम गाउँपालिकाले यस्ता सम्पत्तिको लगत अध्यावधिक गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।<br>गाउँपालिका र अन्तर्गतका वडाको स्वामित्वमा रहेको भवन, जग्गा, सवारी साधन, फर्निचर, विद्युतीय सामान लगायतका सम्पत्तिको मूल्यांकन समेत देखिने गरी अभिलेख अद्यावधिक गरेको छैन । कूल मूल्य खुल्नेगरी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ । |         |                |         |  |  |  |  |
| ५.      | <b>वार्षिक खरिद योजना :</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८(१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले वार्षिक १० लाख भन्दा बढी रकमको खरिद गर्नुपर्ने भएमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यस वर्ष खरिद इकाई गठन तथा खरिद योजना बनाई कार्यान्वयन गरेको देखिएन । नियममा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।  |         |                |         |  |  |  |  |
| ६.      | <b>लेखापालन तथा प्रतिवेदन :</b> लेखापालनको लागि प्रयोग गरिएका फारामहरुको समसामयिक संशोधन एवं सुधार नभएको, अधिकांश फारामहरु स्वीकृत गरिए तापनि प्रयोगमा नल्याएको, सरकारी निकायहरुले विभिन्न किसिमका सफ्टवेयर प्रयोग गरेकोमा स्वीकृति नलिएको अवस्था देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल पब्लिक सेक्टर एकाउण्टिङ स्टाण्डर्ड स्वीकृत गरी लागू गरेको ९ वर्ष भए पनि सवै निकायमा लागू गरी नसकेको, नगदमा आधारित लेखा प्रणालीलाई प्रोदभावी लेखा प्रणालीको चरणमा लैजान गर्नुपर्ने सुधारका कामहरु बाँकी रहेको छ । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने लेखा ढाँचालाई सरल एवं प्रयोग गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । यो वर्ष स्थानीय तहले स्वेच्छिक रूपले नेपाल सार्वजनिक लेखामान अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने र २०७६।७७ देखि अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक लेखामान अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नु भएकोले सो अनुमान तयारी गर्नुपर्ने देखियो ।  |         |                |         |  |  |  |  |
| ७.      | <b>वडा संचालन खर्च :</b> खर्चको विल भर्पाई पेश गरेपनि खर्च शिर्षक नियमित नगरी जुनसुकै प्रकारको विल भर्पाई पेश गरेपनि सोधभर्ना तथा खर्च लेख्ने गरी यस पालिकाले वडा नं. १ देखि ६ सम्मको न्यूनतम ४८४००। देखि अधिकतम ६५०००। सम्मको रु. ३३८७७५। खर्च लेखेको छ ।   |         |                |         |  |  |  |  |
|         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>वडा नं.</th> <th>खर्चको प्रकृति</th> <th>रकम रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  | वडा नं. | खर्चको प्रकृति | रकम रु. |  |  |  |  |
| वडा नं. | खर्चको प्रकृति   | रकम रु. |                |         |  |  |  |  |
|         |  |         |                |         |  |  |  |  |

|  |              |            |                  |  |
|--|--------------|------------|------------------|--|
|  | १            | चिया, खाजा | ६५००७.००         |  |
|  | २            |            | ५५५३५.००         |  |
|  | ३            |            | ४८४००.००         |  |
|  | ४            |            | ५२३४०.००         |  |
|  | ५            |            | ५७६००.००         |  |
|  | ६            |            | ५९९००.००         |  |
|  | <b>जम्मा</b> |            | <b>३३८७८२.००</b> |  |

| ८.           | <b>स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख</b> : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम गाँउपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको आधारभूत तथ्यांक संकलन, अभिलेख र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाँउपालिकाले स्थानीय तथ्यांक सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको देखिएन । स्थानीय तहका हरेक प्राथमिककरणका क्रियाकलाप संचालनमा तथ्यांकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अभिलेख राख्ने कार्यमा भूमिका अगाडि वढाउन आवश्यक छ । तथ्यांक वेगर प्राथमिकतामा राखिएका योजना, बजेट, प्रक्रिया र कार्यान्वयनले उचित सार्थकता नपाउने हुँदा यसतर्फ गाँउपालिकाले अभिलेख व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।   |            |           |           |           |            |      |       |   |                           |    |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |           |    |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |    |              |  |            |           |           |           |            |  |
|--------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|-------|---|---------------------------|----|---|---|---|---|---|----------------|---|---|---|---|---|---|-----------|----|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|--------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| ९.           | <b>आ.ले.प.शाखा</b> : प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक कारोवार, आन्तरिक जाच एवं आर्थिक कार्य प्रणाली प्रभावकारी र व्यवस्थित गराउन आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा गठन गर्नु पर्दछ । आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा गठनको अभावमा आर्थिक कारोवार अव्यवस्थित भई वित्तीय जोखिम बढ्ने संभावना रहन्छ । तसर्थ यस गाँउपालिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा गठन गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।  |            |           |           |           |            |      |       |   |                           |    |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |           |    |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |    |              |  |            |           |           |           |            |  |
| १०.          | <b>बैंक हिसाव</b> : कार्यालयले पेश गरेको आर्थिक विवरण अनुसार वास्तविक खर्च भन्दा बैंक मौज्जात वास्तविक खर्च भन्दा रु. ५११२४।३८ कम देखिएकोले सो एकिन गरि हिसाव मिलान गर्नुपर्ने रु.  | ५११२४.३८   |           |           |           |            |      |       |   |                           |    |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |           |    |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |    |              |  |            |           |           |           |            |  |
| ११.          | <b>चौमासिक खर्च</b> : कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रथम चौमासिकमा १६.४१ प्रतिशत, दोश्रो चौमासिकमा २९.८४ प्रतिशत र तेश्रो चौमासिकमा ४९.१० प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ । यसरीने आषाढ मसान्तमा २४.१५ प्रतिशत खर्च देखिनुले आषाढमा आएर खर्चको चाप बढेको देखिएकोले सन्तुलित खर्च व्यवस्थापन भएको देखिएन । निर्माण कार्यको गुणस्तर र अनुगमनमा सहजता ल्याउन चौमासिक लक्ष्य तथा कार्य विवरण अनुरूप खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दछ ।   |            |           |           |           |            |      |       |   |                           |    |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |           |    |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |    |              |  |            |           |           |           |            |  |
| १२.          | <b>चौमासिक प्रगति</b> : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(५) गाँउपालिकाले स्थानीय संचित कोषमा भएको आय व्ययको चौमासिक शिर्षकगत विवरण तयार गरि संघीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि सो अनुसार गरेको छैन । कानूनको पालना गरी वित्तीय सुशासनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ ।  |            |           |           |           |            |      |       |   |                           |    |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |           |    |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |    |              |  |            |           |           |           |            |  |
| १३.          | <b>प्रशासकिय संगठन र कर्मचारी दरवन्दी</b> : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा गाँउपालिकाले आफ्नो कार्यबोझ, राजश्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखि कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा पालिकामा विषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको संगठन संरचना कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा वडाको संगठन संरचना समेत समावेश हुनुपर्दछ । साथै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरवन्दीको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अस्थायी दरवन्दी सिर्जना गर्न नसकिने नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, पल्भर, इलेक्ट्रीसियन, चौकीदार, माली, वगैचे, सरसफाई सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ती नगरी सेवा करार लिनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धि सभाबाट स्वीकृत गराउनु पर्दछ । तर यस पालिकाले सो अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गरेको छैन । साथै, नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको दरवन्दी पालिका र वडा समेतमा गरी ३१ जनाको स्वीकृत रहेको छ । सो बाहेक कृषि र भेटेनरी, स्वास्थ्य, शिक्षक समेतको दरवन्दी र पदपूर्तीको अवस्था देहायानुसार देखिएको छ । |            |           |           |           |            |      |       |   |                           |    |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |           |    |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |    |              |  |            |           |           |           |            |  |
|              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं</th> <th>विवरण</th> <th>दरवन्दी</th> <th>स्थायी</th> <th>करार</th> <th>राहत</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>गाँउपालिका र वडा कार्यालय</td> <td>३१</td> <td>३</td> <td>५</td> <td>०</td> <td>८</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>कृषि र भेटेनरी</td> <td>५</td> <td>०</td> <td>१</td> <td>०</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>स्वास्थ्य</td> <td>१०</td> <td>४</td> <td>४</td> <td>०</td> <td>८</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>शिक्षक</td> <td>९७</td> <td>६२</td> <td>१०</td> <td>२५</td> <td>९७</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>जम्मा</b></td> <td><b>१४३</b></td> <td><b>६९</b></td> <td><b>२०</b></td> <td><b>२५</b></td> <td><b>११४</b></td> </tr> </tbody> </table>  | क्र.सं     | विवरण     | दरवन्दी   | स्थायी    | करार       | राहत | जम्मा | १ | गाँउपालिका र वडा कार्यालय | ३१ | ३ | ५ | ० | ८ | २ | कृषि र भेटेनरी | ५ | ० | १ | ० | १ | ३ | स्वास्थ्य | १० | ४ | ४ | ० | ८ | ५ | शिक्षक | ९७ | ६२ | १० | २५ | ९७ | <b>जम्मा</b> |  | <b>१४३</b> | <b>६९</b> | <b>२०</b> | <b>२५</b> | <b>११४</b> |  |
| क्र.सं       | विवरण   | दरवन्दी    | स्थायी    | करार      | राहत      | जम्मा      |      |       |   |                           |    |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |           |    |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |    |              |  |            |           |           |           |            |  |
| १            | गाँउपालिका र वडा कार्यालय   | ३१         | ३         | ५         | ०         | ८          |      |       |   |                           |    |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |           |    |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |    |              |  |            |           |           |           |            |  |
| २            | कृषि र भेटेनरी  | ५          | ०         | १         | ०         | १          |      |       |   |                           |    |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |           |    |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |    |              |  |            |           |           |           |            |  |
| ३            | स्वास्थ्य   | १०         | ४         | ४         | ०         | ८          |      |       |   |                           |    |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |           |    |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |    |              |  |            |           |           |           |            |  |
| ५            | शिक्षक  | ९७         | ६२        | १०        | २५        | ९७         |      |       |   |                           |    |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |           |    |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |    |              |  |            |           |           |           |            |  |
| <b>जम्मा</b> |   | <b>१४३</b> | <b>६९</b> | <b>२०</b> | <b>२५</b> | <b>११४</b> |      |       |   |                           |    |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |           |    |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |    |              |  |            |           |           |           |            |  |
|              | उल्लेखित विवरण अनुसार विश्लेषण गर्दा शिक्षक बाहेक स्वास्थ्य कृषि तथा भेटेनरी एंव पालिका र वडामा कार्यरत जनशक्तिको अवस्था ज्यादै न्यून रहेको देखिन्छ । यसबाट विकास निर्माण र सेवा प्रवाह गर्न ज्यादै   |            |           |           |           |            |      |       |   |                           |    |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |           |    |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |    |              |  |            |           |           |           |            |  |



|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | कठिनाई परेको अवस्था देखिएकोले यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरु जिम्मेवारी भई शिघ्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिएको छ ।   |  |
| १४. | <b>लेखापरीक्षण सहजीकरण समिति</b> : गाँउपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानून, २०७४ को दफा २९ मा लेखापरीक्षण सहजीकरण समिति रहने व्यवस्था छ । गाँउपालिकाबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गरी प्रभावकारी, दक्षतापूर्ण एवं मितव्ययी रूपमा सम्पादन गर्न वित्तीय प्रतिवेदनहरुलाई समयमा नै तयार गर्न तथा विश्वसनीय बनाउन, बेरुजू फछ्यौट गर्न गराउन कार्यपालिकाले आफु मध्येबाट तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा पालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न तोकिएको अधिकृत, प्रशासकिय अधिकृतले तोकेको पालिकाको अधिकृत र प्रविधिक अधिकृत समेत रहने लेखापरीक्षण सहजीकरण समिति गठन गर्ने व्यवस्था बमोजिम भएको देखिएन । यसमा सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ ।  |  |
| १५. | <b>मदिरा नियन्त्रण कार्य</b> : मदिरा नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्नु पालिकाको महत्वपूर्ण कार्य हो । उक्त कार्यलाई सफ पार्न पालिका भित्र अनियमित मदिरा उत्पादन गर्न नदिने र पालिका बाहिरबाट आउने मदिराको अभिलेख राख्ने र मदिरा वेचबिखन गर्ने विक्रेताले १८० एम एल भन्दा बढि प्रतिदिन नदिने गरी मदिरा सेवनकर्तालाई मदिरा कार्ड रु. ५००। का दरले जारी गर्ने व्यवस्था अनुसार २७४ जना मदिरा प्रयोग कर्ताको रेकर्ड अद्यावधिक र नविकरण तथा अनुगमन समेत गरेको देखियो । यसबाट समाजमा सकारात्मक प्रभाव परेको समेत बुझिएको छ ।   |  |
| १६. | <b>राजश्व अभिलेख</b> :आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को परिच्छेद ४ दफा १२ र १३ ले राजस्वको अभिलेख अध्यावधिक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था रहेको छ । गाँउपालिकाले यस आ.व.मा राजस्व रु. ५ लाख उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ७४६६२२। संकलन गरेको देखियो ।   |  |
| १७. | <b>कर लगाउने</b> :- यसले संविधानको धारा २२८ मा कानून बमोजिम वाहेक स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाइने व्यवस्था भए पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा त्यस्तो कानून तर्जुमा भई नसकेको अवस्थामा सभामा पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको आधारमा कर लगाउने र उठाउने गरेको छ । साथै धारा २३० मा राजश्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँसभामा पेश गरी पारीत गराउनु पर्ने व्यवस्थाको पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पालना भएको देखिएन । यसमा सुधार हुनुपर्दछ ।   |  |
| १८. | <b>मध्यकालीन खर्च संरचना</b> :- अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७ मा स्थानीय तहले सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्दा आगामी ३ वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि तदनुसार मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरेको देखिएन । यसमा सुधार हुनुपर्दछ ।  |  |
| १९. | <b>नक्सा पास</b> : स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २७ मा कसैले पनि गाँउपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्नु हुदैन । तर यस गाँउपालिकाले घर नक्सा पास गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छैन । यसबाट दफा ४३ अनुसार राष्ट्रिय भवन संहिता पालना गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको छैन । भवन संहिताको पालना गर्दा भविष्यमा पर्ने विपद् जोखिम न्यून हुने जनता बिच कानूनको परिपालनाबाट विवाद सामाधानमा सहयोग पुग्ने, सरकारी जग्गाको संरक्षण समेतमा सहयोग पुग्ने र आन्तरिक आयमा समेत सहयोग पुग्ने हुँदा भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नु अति आवश्यक छ । यसतर्फ सम्पूर्ण जनतामा सचेतनाको कार्यक्रम संचालन गरी जनसहभागिताको माध्यमबाट शिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।   |  |
| २०. | <b>उपभोक्ता समितिबाट निर्माण</b> : उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा ९७ मा भएका व्यवस्था पूर्ण रूपले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा १२ मा निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सो निर्माण कार्यको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकी आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई उपभोक्ता समितिबाट गरिएको योजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो योजना निरन्तर यथारूपमा संचालन गर्नको लागि रेखदेख र मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी समेत सोही उपभोक्तालाई हुने व्यवस्था भएपनि गाँउपालिकाले १६ योजना उपभोक्ता समितिबाट गराएको देखिएपनि योजना हस्तान्तरण र रेखदेख र मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी दिएको देखिएन । यसकारण उपभोक्ता समितिबाट कार्य गर्दा ठेकेदारबाट गराउदा हुने प्रकृयागत भ्रणभट र समयको सन्दर्भमा सहज भए पनि उक्त उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरेको कार्यको रेखदेख र मर्मत सम्भार गर्ने दायित्व निरन्तर भइरहने भएकोले उपभोक्ता समितिलाई उल्लेखित कार्यमा निरन्तर जिम्मेवार भइराख्न लगाउने दायित्व तर्फ पनि गाँउपालिका गम्भीर हुनुपर्दछ । |  |
| २१. | <b>सम्पत्ति हस्तान्तरण र जिन्सी निरीक्षण</b> :स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७,९८ र १०४ अनुसार विषयगत कार्यालयको चल अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख त्यसरी कायम भएका गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । यसरी हस्तान्तरण हुने सम्पूर्ण  |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत खाता २०७५ असार मसान्त भित्र स्थानीय तहले तयार गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा गाँउपालिकाले जग्गा, भवन संरचनाको अभिलेख तथा जिन्सी लगत तयार नगरेको, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्य फर्निचर जस्ता मूल्यवान समानहरु जिम्मेवारी सार्ने गरेको पाईएन । यसरी जिन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा जिन्सी मालसामानहरु हराउन, हिनामिना हुन सक्ने हुँदा खरिद गरिएका मालसामानहरुको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित जिन्सी खातामा आम्दानी जनाई जिन्सी खाता अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । साथै, वडा कार्यालयहरुमा रहेका सामानहरुको एकिन हुने गरी जिन्सी निरीक्षण गरेको छैन ।  |  |
| २२. | <b>जग्गा खरिद :</b> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिमका कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कुनै परियोजना सञ्चालन गर्न सरकारी वा कुनै निजी जग्गा प्राप्ती गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसरी जग्गा प्राप्ती गर्नुपर्ने अवस्थामा अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ ले तोकेको प्रकृया वा सरकारी जग्गा दर्ता वा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यनीति, २०७१ ले तोकेको प्रकृया पूरा गरी स्थानीय तहको लागि जग्गा प्राप्त गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले कुनै परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ती गर्दा स्थानीय तह, साविकको स्थानीय निकाय वा सरकारी निकायको नाममा रहेको जग्गा वा अन्य कुनै जग्गा निशुल्क रुपमा लिने प्रकृयाका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जग्गा प्राप्ती प्रकृया अगाडी बढाउन प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोकीदिन मन्त्रालयमा अनुरोध पठाउदा परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा निशुल्क रुपमा प्राप्तीको प्रयास भएको र सो बमोजिम आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको व्यहोरा खुल्ने सहितको कागजात संलग्न गरि पठाउन मिति २०७५।२।१३ मा स्थानीय तहका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ती गर्ने प्रकृया सम्बन्धि परिपत्र गरेकोमा सो सम्बन्धि कारवाही नगरि गाँउपालिकाले पूजीगत शिर्षकबाट रु १७७५७४९। राजस्व बाडफाड शिर्षकबाट रु ३९००००। समेत रु २१,६५,७४९। जग्गा खरिद गरेको देखियो । सो परिपत्र अनुसार जग्गा खरिद गर्नुपर्दछ । |  |
| २३. | <b>पदाधिकारी सुविधा :</b> नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाँउसभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुशार सुदुरपश्चिम प्रदेशले कानूनबाट सुविधाको रुपमा पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेबमोजिम यसवर्ष यो गाँउपालिकाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक रु. ३८८२००। खर्च लेखेको देखियो ।  |  |
| २४. | <b>कर्मचारीको नाममा चेक :</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ (८) मा आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक वा परामर्शदातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ भन्दा बढि रकम भुक्तानी गर्दा एकाउन्ट पेथी चेकको माध्यमबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापनको लागि खरिद गरेको औषधि तथा उपकरणको भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित फर्मलाई भुक्तानी नगरी हे.अ. धरम कुमार बुढालाई भुक्तानी गरेको देखियो । नियममा भएको व्यवस्था विपरित भएको भुक्तानी पुष्ट्याई हुनुपर्ने देखिएकोमा बुझेको प्रमाण पेश भएको छ । यस्तो कार्यमा सुधार हुनुपर्दछ ।  |  |
| २५. | <b>स्थायी कर्मचारी :</b> स्थायी कर्मचारीलाई अस्थायी करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था भएको देखिएन । यस गाँउपालिकामा समाहित भएका साविक गाविस दहकोटले नन्दे रोकायालाई २०६५।१।२।८ मा गाउँपरिषदको बैठकले प्रचलित नियमानुसार मासिक तलव पाउने गरी र साविक गाविस मानाकोटले राम बहादुर रोकायालाई २०६५।३।२० देखि लागू हुने गरी स्थायी नियुक्ति गरेको प्रमाण पेश भएको छ । तर हालको गाउँपालिका भएपछि करारमा नियुक्ति गरेको देखिएकोले उक्त त्रुटी सच्याई नियमानुसार स्थायी नियुक्ति भए अनुसार निजहरुलाई आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने देखियो । साथै, विगतमा अस्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई हाल करारमा नियुक्ति गरेको सम्बन्धमा पनि प्रचलित नियम कानूनको परिधिभित्र रहि सेवा शर्त सम्बन्धि स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिई कर्मचारीको मनोबल उच्च राखि कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।   |  |
| २६. | <b>प्रयोग नभएको फिल्ड :</b> आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २२ मा प्रतिफल समेतको विचारगरी योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले फिल्ड निर्माण कार्यका लागि रोहित निर्माण सेवालाई रु. ४९७८८५। भुक्तानी गरेको देखियो । उक्त फिल्ड हालसम्म कुनै पनि प्रयोजन भएको देखिएन । आवश्यकता पहिचान नगरी खर्च गर्दा अनुत्पादक वन्न जाने हुँदा योजनाको प्राथमिकीकरण गरि खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।  |  |

२७. **उच्च प्रविधि नर्सरी** : संभाव्यता अध्ययनपरियोजनाको प्राविधिक र आर्थिक रूपमा व्यवसायिक सोच सिफारिश, लागत लाभ संभाव्यता, फलदायिताको तुलना र उपयुक्तताको विश्लेषण गरेको हुनुपर्दछ । कार्यालयले उच्च प्रविधिको नर्सरी स्थापनार्थ संभाव्यता अध्ययन गर्न श्री खप्तड विकास प्रा.लि. सँग भौ.न. ११९-०७६।३३१ बाट रु. ९९४४००। भुक्तानी गरेको देखियो । प्राप्त संभाव्यता प्रतिवेदनमा भौगोलिक जानकारी र प्रविधिको जानकारीको बारेमा उल्लेख गरेको र सडक पहुँच पुऱ्याउनुपर्ने भनि पृष्ठपोषण गरेको देखियो । यसबाट सो संभाव्यता अध्ययनको पूर्णता भए नभएको कार्यालयले एकिन नगरि भुक्तानी गरेको देखियो । यसबाट खर्च मितव्ययीता तथा प्रभावकारीताको तुलना गरी प्रतिवेदन पेश हुनुपर्दछ ।

२८. **सामाजिक लेखापरीक्षण** : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८(५) बमोजिम हरेक स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी वित्तीय जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था छ । सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय-व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा गाँउपालिकाले देहायका योजनाहरुमा गरेको पाइएन । नियममा भएको व्यवस्था कडाईकासाथ पालना गर्नुपर्दछ ।

| क्र.सं. | योजनाको नाम                        | रकम रु.    |
|---------|------------------------------------|------------|
| १       | पाते खानेपानी तथा सरसफाई योजना     | ३१२२५४२.०० |
| २       | टाडाकोटे खानेपानी तथा सरसफाई योजना | ४२७३६०२.०० |
| ३       | बडा कार्यालय फिल्ड निर्माण         | ७६००००.००  |
| ४       | घटमुना वसला सडक निर्माण            | ३३९१०००.०० |
| ५       | घटमुना मानाकोट सडक                 | ९५२९८७९.०० |

२९. **सोभै खरिद** : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) अनुसार खरिद प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी पटक पटक सोभै खरिद गर्न मिल्दैन । चालु तथा पुँजीगत सम्पत्ति खरिद कार्यमा गाँउपालिकाले रु.३५९८३५९.०० पटक पटक खरिद गरेको देखियो । यसरी ऐन नियम विपरीतको खरिद कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।

| भौ.न./मिति     | खरिद विवरण                                   | आपूर्तकको नाम                               | रकम        |
|----------------|--|---|------------|
| ११-०७५/९/१९    | मेशिनरी औजार                                 |   | २०८४००.००  |
| ७-०७५/९/१८     | मेशिनरी औजार                                 |   | २४९९३७.००  |
| १२-०७५/९/१९    | मेशिनरी औजार                                 |   | ४६८५००.००  |
| ४५-०७५/११/२२   | सार्वजनिक निर्माण                            |   | ४७३९७५.००  |
| ४६-०७५/११/२२   | सार्वजनिक निर्माण                            |   | ४७४९६७.००  |
| १९३/२०७६/२/८   | सामनजिक सुरक्षा फारम खरिद                    | कालजाग्र मिडिया हाउस                        | ४८९५९६.००  |
| १२-२०७५/६/८    | समानिकरण बाट विद्युत जडान सामाग्री खरिद वापत | आकास मोवाइल एण्ड इलेक्ट्रिक                 | ८३९६०.००   |
| ७-२०७५/६/९     | समानिकरण बाट कार्यालय सामाग्री खरिद वापत     | शुभकामना ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स            | १९२०००.००  |
| ७-२०७५/६/९     | समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत           | जे. वी. मिडिया प्रा.ली. बाजुरा              | २०००००.००  |
| ७-२०७५/६/९     | समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत           | स्काई प्रिन्टर्स प्रेस बाजुरा               | ९५०००.००   |
| ४२-२०७५/९/१७   | समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत           | जे. वी. मिडिया प्रा.ली. बाजुरा              | १०८८१५.००  |
| १३०-२०७५/११/१९ | समानिकरण बाट धारा सामाग्री खरिद वापत         | सोनी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स मार्तडी बाजुरा | १५७६९०.००  |
| १३१-२०७५/११/१९ | समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत           | जे. वी. मिडिया प्रा.ली. बाजुरा              | १५०९५४.००  |
| १३२-२०७५/११/१९ | समानिकरण बाट कार्यालय सामाग्री खरिद वापत     | ज्ञानु इलेक्ट्रोनिक्स मार्तडी बाजुरा        | १२८०००.००  |
| १३३-२०७५/११/१९ | समानिकरण बाट स्टेशनरी सामाग्री खरिद वापत ।   | कालजाग्र मिडिया हाउस मार्तडी बाजुरा         | ११९०४५.००  |
| जम्मा          |  |   | ३५९८३५९.०० |

३०. **कर दाखिला** : आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भुक्तानी गर्दा अग्रिमकर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था

|                | <p>छ। कार्यालयले निम्न फर्महरुलाई भुक्तानी गर्दा कर कट्टा नगरेको तथा केहिमा आंशिक मात्र गरेको देखियो । नियमानुसार कर कट्टा गरी दाखिला हुनुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.न./मिति</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> <th>कर रकम</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१७-०७५/९/१०</td> <td>उग्रतारा टेक्नीकल गुड्स सप्लायर्स</td> <td>१०१०००.००</td> <td>१५१५.००</td> <td>अग्रिम कर</td> </tr> <tr> <td>१८-०७५/९/१०</td> <td>यशोदा फार्मशी</td> <td>१५४८०५.००</td> <td>२०८९०.००</td> <td rowspan="7">१.५ मात्र कट्टा भएको</td> </tr> <tr> <td>७-०७५/९/१८</td> <td>जे.के. फर्निचर</td> <td>१५४०००.००</td> <td>२०७९०.००</td> </tr> <tr> <td>१७-०७५/९/२७</td> <td>न्यू बडिमालिका फर्निचर उद्योग</td> <td>१५९५७०.००</td> <td>२१५४२.००</td> </tr> <tr> <td>४१-०७५/११/१९</td> <td>न्यू बडिमालिका फर्निचर उद्योग</td> <td>१२६५००.००</td> <td>१७०७८.००</td> </tr> <tr> <td>५९-०७६/१/१५</td> <td>अमर फर्निचर उद्योग</td> <td>१५००००.००</td> <td>२०२५०.००</td> </tr> <tr> <td>११५-०७६/३/२९</td> <td>न्यू बडिमालिका फर्निचर</td> <td>११००००.००</td> <td>१४८५०.००</td> </tr> <tr> <td>१२-२०७५/६/८</td> <td>समानिकरण बाट विद्युत जडान सामग्री खरिद वापत आकास मोवाइल एण्ड इलेक्ट्रिक</td> <td>८३९६०.००</td> <td>११२२६.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td>७-२०७५/६/९</td> <td>समानिकरण बाट कार्यालय सामग्री खरिद वापत शुभकामना ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स</td> <td>१९२०००.००</td> <td>२५९२०.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td>७-२०७५/६/९</td> <td>समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत जे. वी. मिडिया प्रा.ली. बाजुरा</td> <td>२०००००.००</td> <td>२७०००.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td>७-२०७५/६/९</td> <td>समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत स्काई प्रिन्डर्स प्रेस बाजुरा</td> <td>९५०००.००</td> <td>१२८२५.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td>४२-२०७५/९/१७</td> <td>समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत जे. वी. मिडिया प्रा.ली. बाजुरा</td> <td>१०८८१५.००</td> <td>१४६९०.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td>१३०-२०७५.११.१९</td> <td>समानिकरण बाट धारा सामग्री खरिद वापत सोनी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स मार्तडी बाजुरा</td> <td>१५७६९०.००</td> <td>२१२८८.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td>१३१-२०७५.११.१९</td> <td>समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत जे. वी. मिडिया प्रा.ली. बाजुरा</td> <td>१५०९५४.००</td> <td>२०३३१.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td>१३२-२०७५.११.१९</td> <td>समानिकरण बाट कार्यालय सामग्री खरिद वापत ज्ञानु इलेक्ट्रोनिक्स मार्तडी बाजुरा</td> <td>१२८०००.००</td> <td>१७२८०.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td>१३३-२०७५.११.१९</td> <td>समानिकरण बाट स्टेशनरी सामग्री खरिद वापत कालजाग्रा मिडिया हाउस मार्तडी बाजुरा</td> <td>११९०४५.००</td> <td>१६०७१.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td>१३४-२०७५.११.१९</td> <td>समानिकरण बाट कार्यालय सामग्री खरिद वापत दुर्गा ट्रेडर्स मार्तडी बाजुरा</td> <td>१२१०००.००</td> <td>२८३६४.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>२३११५३९.००</td> <td>३११९१०.००</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | भौ.न./मिति     | विवरण           | रकम  | कर रकम | कैफियत | १७-०७५/९/१०   | उग्रतारा टेक्नीकल गुड्स सप्लायर्स  | १०१०००.०० | १५१५.०० | अग्रिम कर                              | १८-०७५/९/१०   | यशोदा फार्मशी   | १५४८०५.०० | २०८९०.०० | १.५ मात्र कट्टा भएको               | ७-०७५/९/१८    | जे.के. फर्निचर  | १५४०००.०० | २०७९०.०० | १७-०७५/९/२७                                | न्यू बडिमालिका फर्निचर उद्योग | १५९५७०.००    | २१५४२.००       | ४१-०७५/११/१९    | न्यू बडिमालिका फर्निचर उद्योग | १२६५००.०० | १७०७८.०० | ५९-०७६/१/१५ | अमर फर्निचर उद्योग | १५००००.०० | २०२५०.०० | ११५-०७६/३/२९ | न्यू बडिमालिका फर्निचर | ११००००.०० | १४८५०.०० | १२-२०७५/६/८ | समानिकरण बाट विद्युत जडान सामग्री खरिद वापत आकास मोवाइल एण्ड इलेक्ट्रिक | ८३९६०.०० | ११२२६.०० |  | ७-२०७५/६/९ | समानिकरण बाट कार्यालय सामग्री खरिद वापत शुभकामना ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स | १९२०००.०० | २५९२०.०० |  | ७-२०७५/६/९ | समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत जे. वी. मिडिया प्रा.ली. बाजुरा | २०००००.०० | २७०००.०० |  | ७-२०७५/६/९ | समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत स्काई प्रिन्डर्स प्रेस बाजुरा | ९५०००.०० | १२८२५.०० |  | ४२-२०७५/९/१७ | समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत जे. वी. मिडिया प्रा.ली. बाजुरा | १०८८१५.०० | १४६९०.०० |  | १३०-२०७५.११.१९ | समानिकरण बाट धारा सामग्री खरिद वापत सोनी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स मार्तडी बाजुरा | १५७६९०.०० | २१२८८.०० |  | १३१-२०७५.११.१९ | समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत जे. वी. मिडिया प्रा.ली. बाजुरा | १५०९५४.०० | २०३३१.०० |  | १३२-२०७५.११.१९ | समानिकरण बाट कार्यालय सामग्री खरिद वापत ज्ञानु इलेक्ट्रोनिक्स मार्तडी बाजुरा | १२८०००.०० | १७२८०.०० |  | १३३-२०७५.११.१९ | समानिकरण बाट स्टेशनरी सामग्री खरिद वापत कालजाग्रा मिडिया हाउस मार्तडी बाजुरा | ११९०४५.०० | १६०७१.०० |  | १३४-२०७५.११.१९ | समानिकरण बाट कार्यालय सामग्री खरिद वापत दुर्गा ट्रेडर्स मार्तडी बाजुरा | १२१०००.०० | २८३६४.०० |  |  |  | २३११५३९.०० | ३११९१०.०० |  | ३११९१०.०० |
|----------------|--|----------------|-----------------|--|--------|--------|---------------|--|-----------|---------|--|---------------|---|-----------|----------|------------------------------------|---------------|---|-----------|----------|--|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------|--------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|----------|-------------|---|----------|----------|--|------------|--|-----------|----------|--|------------|---|-----------|----------|--|------------|--|----------|----------|--|--------------|---|-----------|----------|--|----------------|---|-----------|----------|--|----------------|---|-----------|----------|--|----------------|--|-----------|----------|--|----------------|--|-----------|----------|--|----------------|--|-----------|----------|--|--|--|------------|-----------|--|-----------|
| भौ.न./मिति     | विवरण  | रकम            | कर रकम          | कैफियत                                     |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| १७-०७५/९/१०    | उग्रतारा टेक्नीकल गुड्स सप्लायर्स  | १०१०००.००      | १५१५.००         | अग्रिम कर                                  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| १८-०७५/९/१०    | यशोदा फार्मशी  | १५४८०५.००      | २०८९०.००        | १.५ मात्र कट्टा भएको                       |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| ७-०७५/९/१८     | जे.के. फर्निचर   | १५४०००.००      | २०७९०.००        |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| १७-०७५/९/२७    | न्यू बडिमालिका फर्निचर उद्योग  | १५९५७०.००      | २१५४२.००        |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| ४१-०७५/११/१९   | न्यू बडिमालिका फर्निचर उद्योग  | १२६५००.००      | १७०७८.००        |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| ५९-०७६/१/१५    | अमर फर्निचर उद्योग   | १५००००.००      | २०२५०.००        |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| ११५-०७६/३/२९   | न्यू बडिमालिका फर्निचर   | ११००००.००      | १४८५०.००        |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| १२-२०७५/६/८    | समानिकरण बाट विद्युत जडान सामग्री खरिद वापत आकास मोवाइल एण्ड इलेक्ट्रिक  | ८३९६०.००       | ११२२६.००        |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| ७-२०७५/६/९     | समानिकरण बाट कार्यालय सामग्री खरिद वापत शुभकामना ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स   | १९२०००.००      | २५९२०.००        |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| ७-२०७५/६/९     | समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत जे. वी. मिडिया प्रा.ली. बाजुरा  | २०००००.००      | २७०००.००        |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| ७-२०७५/६/९     | समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत स्काई प्रिन्डर्स प्रेस बाजुरा   | ९५०००.००       | १२८२५.००        |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| ४२-२०७५/९/१७   | समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत जे. वी. मिडिया प्रा.ली. बाजुरा  | १०८८१५.००      | १४६९०.००        |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| १३०-२०७५.११.१९ | समानिकरण बाट धारा सामग्री खरिद वापत सोनी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स मार्तडी बाजुरा  | १५७६९०.००      | २१२८८.००        |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| १३१-२०७५.११.१९ | समानिकरण बाट छपाइ तथा प्रकाशन वापत जे. वी. मिडिया प्रा.ली. बाजुरा  | १५०९५४.००      | २०३३१.००        |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| १३२-२०७५.११.१९ | समानिकरण बाट कार्यालय सामग्री खरिद वापत ज्ञानु इलेक्ट्रोनिक्स मार्तडी बाजुरा   | १२८०००.००      | १७२८०.००        |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| १३३-२०७५.११.१९ | समानिकरण बाट स्टेशनरी सामग्री खरिद वापत कालजाग्रा मिडिया हाउस मार्तडी बाजुरा   | ११९०४५.००      | १६०७१.००        |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| १३४-२०७५.११.१९ | समानिकरण बाट कार्यालय सामग्री खरिद वापत दुर्गा ट्रेडर्स मार्तडी बाजुरा   | १२१०००.००      | २८३६४.००        |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
|                |  | २३११५३९.००     | ३११९१०.००       |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| ३१.            | <p><b>करकट्टा नगरेको</b> : आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भुक्तानी गर्दा अग्रिमकर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले निम्न कार्यक्रम तथा व्यक्तिहरुलाई फर्महरुलाई भुक्तानी गर्दा कर कट्टा नगरेको तथा केहिमा आंशिक मात्र गरेको देखियो । नियमानुसार कर कट्टा गरी दाखिला हुनुपर्ने रु. ११७७५.००</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.न./मिति</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> <th>कर रकम</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२३२/२०७६.३.११</td> <td>बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्य पोषण निर्देशक समितिको बैठकको भत्ता भुक्तानी</td> <td>१८५००.०</td> <td>२७७५.००</td> <td>नगदै रु १०००/५०० दरले खाजा खर्च लेखेको</td> </tr> <tr> <td>२३४/२०७६/३/११</td> <td>परम्परागत सामग्रीहरुको प्रोफाइल निर्माणको छलफल कार्यक्रमको भत्ता भुक्तानी</td> <td>३००००</td> <td>४५००.००</td> <td>नगदै रु १२०० दरले खाजा खर्च लेखेको</td> </tr> <tr> <td>२८३/२०७६/३/३१</td> <td>साक्षरता तथ्याङ्क विश्लेषण तथा रुजु कार्यको लागि वडा अध्यक्षहरुलाई भुक्तानी</td> <td>३००००.०</td> <td>४५००.००</td> <td>नगदै रु ५००० दरले ६ जनाको खाजा खर्च लेखेको</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>जम्मा</b></td> <td><b>७८५००.०</b></td> <td><b>११७७५.००</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | भौ.न./मिति     | विवरण           | रकम  | कर रकम | कैफियत | २३२/२०७६.३.११ | बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्य पोषण निर्देशक समितिको बैठकको भत्ता भुक्तानी | १८५००.०   | २७७५.०० | नगदै रु १०००/५०० दरले खाजा खर्च लेखेको | २३४/२०७६/३/११ | परम्परागत सामग्रीहरुको प्रोफाइल निर्माणको छलफल कार्यक्रमको भत्ता भुक्तानी | ३००००     | ४५००.००  | नगदै रु १२०० दरले खाजा खर्च लेखेको | २८३/२०७६/३/३१ | साक्षरता तथ्याङ्क विश्लेषण तथा रुजु कार्यको लागि वडा अध्यक्षहरुलाई भुक्तानी | ३००००.०   | ४५००.००  | नगदै रु ५००० दरले ६ जनाको खाजा खर्च लेखेको |                               | <b>जम्मा</b> | <b>७८५००.०</b> | <b>११७७५.००</b> |                               | ११७७५.००  |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| भौ.न./मिति     | विवरण  | रकम            | कर रकम          | कैफियत                                     |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| २३२/२०७६.३.११  | बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्य पोषण निर्देशक समितिको बैठकको भत्ता भुक्तानी   | १८५००.०        | २७७५.००         | नगदै रु १०००/५०० दरले खाजा खर्च लेखेको     |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| २३४/२०७६/३/११  | परम्परागत सामग्रीहरुको प्रोफाइल निर्माणको छलफल कार्यक्रमको भत्ता भुक्तानी  | ३००००          | ४५००.००         | नगदै रु १२०० दरले खाजा खर्च लेखेको         |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| २८३/२०७६/३/३१  | साक्षरता तथ्याङ्क विश्लेषण तथा रुजु कार्यको लागि वडा अध्यक्षहरुलाई भुक्तानी  | ३००००.०        | ४५००.००         | नगदै रु ५००० दरले ६ जनाको खाजा खर्च लेखेको |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
|                | <b>जम्मा</b>   | <b>७८५००.०</b> | <b>११७७५.००</b> |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| ३२.            | <p><b>गलत विल विजक</b> : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२२ मा मालसामान खरिद गर्दा विल वा विजकमा उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरुको व्यवस्था रहेको छ । गाँउपालिकाले रावल एण्ड कन्स्ट्रक्सनको मूल्य अभिवृद्धि कर विजकबाट रु. ५६९०२। मुअकर सहित रु. ४,३७,७०६। भुक्तानी गरेकोमा उक्त विलको मुअकर नं. ३०३६४१५४५ मू.अ.करमा दर्ता नभएको देखिएकोले मुअकर वापतको भुक्तानी भएको रकम असुल गरी केन्द्रिय राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p>   | ५६९०२.००       |                 |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |
| ३३.            | <p><b>कर विजक</b> : मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम १७(१) बमोजिम दर्ता भएको व्यक्तिले कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा कर अधिकृतले अन्यथा स्विकृत भए देखी बाहेक प्रापकलाई अनुसुचि ५ र ५क</p>   |                |                 |  |        |        |               |  |           |         |  |               |   |           |          |                                    |               |   |           |          |  |                               |              |                |                 |                               |           |          |             |                    |           |          |              |                        |           |          |             |   |          |          |  |            |  |           |          |  |            |   |           |          |  |            |  |          |          |  |              |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |   |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |                |  |           |          |  |  |  |            |           |  |           |

|              | बमोजिमको ढाँचामा कर विजक दिनुपर्दछ । त्यसरी कर विजक जारी गर्दा विजक नं. नभएको, विल कम्प्युटर प्रिन्टेड हुन नहुने, केरमेट नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । भौ.न. २७४-०७६।३।२९ बाट ऋषिराज ट्रेडर्स, बाजुराको मुअकर सहित विल रकम २२७२०६.८४ को भुक्तानीमा विल र विल नम्बर समेत केरमेट गरि, हातले लेखी सच्याएको देखिएकोले भुक्तानी भएको मु.अ.करको समायोजनको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने रु.  | २६१४३.८४   |              |                                      |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
|--------------|--|--|--------------|--------------------------------------|--------------|--|------------|--|--|-----------|-------------------------|---|------------|--|------------|---|----------|--|-------|-----------|----------|--|
| ३४.          | <b>बढि भुक्तानी :</b> आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ (८) मा भुक्तानी दिँदा रित पुग वा नपुगको जाँच गरि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले देहायको भुक्तानीमा खर्च भन्दा बढि भुक्तानी भएको देखियो । बढि भएको भुक्तानी असुल गर्नुपर्ने रु.   | ९७०४७.००   |              |                                      |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
|              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं</th> <th>भौ.न./मिति</th> <th>विवरण</th> <th>रकम रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>९-०७५/६/२१</td> <td>जनप्रतिनिधिहरूको संख्याको आधारमा रु. ९५९६९०। भुक्तानी हुनुपर्नेमा रु. ९६४०४५। भएको ।</td> <td>४३५५.००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>९-०७५/६/२१</td> <td>अन्य सेवा शुल्कबाट श्रावण देखि असोजसम्मको इन्जिनियर र आइटि इन्जिनियरको तलव भुक्तानी दिँदा रु. ३५०१४३ हुनुपर्नेमा रु. ३५३६८०। भएको ।</td> <td>३५३७.००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>९-०७५/६/२१</td> <td>१० जना स्थायी कर्मचारीको तलव भुक्तानी गर्दा ९४१०४३ हुनुपर्नेमा रु. १०२०१९.८। भएको ।</td> <td>८९१५५.००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>९७०४७.००</td> </tr> </tbody> </table>  | क्र. सं  | भौ.न./मिति   | विवरण                                | रकम रु.      | १  | ९-०७५/६/२१ | जनप्रतिनिधिहरूको संख्याको आधारमा रु. ९५९६९०। भुक्तानी हुनुपर्नेमा रु. ९६४०४५। भएको । | ४३५५.००  | २         | ९-०७५/६/२१              | अन्य सेवा शुल्कबाट श्रावण देखि असोजसम्मको इन्जिनियर र आइटि इन्जिनियरको तलव भुक्तानी दिँदा रु. ३५०१४३ हुनुपर्नेमा रु. ३५३६८०। भएको । | ३५३७.००    | ३  | ९-०७५/६/२१ | १० जना स्थायी कर्मचारीको तलव भुक्तानी गर्दा ९४१०४३ हुनुपर्नेमा रु. १०२०१९.८। भएको । | ८९१५५.०० |  |       | जम्मा     | ९७०४७.०० |  |
| क्र. सं      | भौ.न./मिति   | विवरण  | रकम रु.      |                                      |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
| १            | ९-०७५/६/२१   | जनप्रतिनिधिहरूको संख्याको आधारमा रु. ९५९६९०। भुक्तानी हुनुपर्नेमा रु. ९६४०४५। भएको ।   | ४३५५.००      |                                      |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
| २            | ९-०७५/६/२१   | अन्य सेवा शुल्कबाट श्रावण देखि असोजसम्मको इन्जिनियर र आइटि इन्जिनियरको तलव भुक्तानी दिँदा रु. ३५०१४३ हुनुपर्नेमा रु. ३५३६८०। भएको ।  | ३५३७.००      |                                      |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
| ३            | ९-०७५/६/२१   | १० जना स्थायी कर्मचारीको तलव भुक्तानी गर्दा ९४१०४३ हुनुपर्नेमा रु. १०२०१९.८। भएको ।  | ८९१५५.००     |                                      |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
|              |  | जम्मा  | ९७०४७.००     |                                      |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
| ३५.          | <b>प्रमाण पेश गर्नुपर्ने :</b> आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ (३) खर्च गर्दा खर्चको विल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो अनुसार नगरी भुक्तानी भएकोले पेश हुनुपर्ने महलमा उल्लेख भए अनुसार आवश्यक प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.  | ३०००००.०   |              |                                      |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
|              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं</th> <th>भौ.न./मिति</th> <th>विवरण</th> <th>भुक्तानी रु.</th> <th>पेश हुनुपर्ने</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>४७-७५/९/१७</td> <td>सरकारी निकाय बोर्डलाई नि :शर्त चालु अनुदान ( वाजुरा क्याम्पस)</td> <td>३९०००.००</td> <td>फिर्ता दाखिला हुनुपर्ने</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>९-०७६/३/१२</td> <td>निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अर्न्तगत डिलासैनी देखि डाँडावाडा सम्मको बाटो निर्माण गर्दा उस अध्यक्ष श्री आइते लुहार बाट पेश भएको डोर हाजिरी वापतको भुक्तानीमा रकम बुझाएको भरपाईमा दस्तखत नरहेको</td> <td>२६१०००.००</td> <td>बुझेको प्रमाण एकिन गरी पेश हुनुपर्ने</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>३०००००.००</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  | क्र. सं  | भौ.न./मिति   | विवरण                                | भुक्तानी रु. | पेश हुनुपर्ने  | १          | ४७-७५/९/१७   | सरकारी निकाय बोर्डलाई नि :शर्त चालु अनुदान ( वाजुरा क्याम्पस)  | ३९०००.००  | फिर्ता दाखिला हुनुपर्ने | ४   | ९-०७६/३/१२ | निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अर्न्तगत डिलासैनी देखि डाँडावाडा सम्मको बाटो निर्माण गर्दा उस अध्यक्ष श्री आइते लुहार बाट पेश भएको डोर हाजिरी वापतको भुक्तानीमा रकम बुझाएको भरपाईमा दस्तखत नरहेको | २६१०००.००  | बुझेको प्रमाण एकिन गरी पेश हुनुपर्ने  |          |  | जम्मा | ३०००००.०० |          |  |
| क्र. सं      | भौ.न./मिति   | विवरण  | भुक्तानी रु. | पेश हुनुपर्ने                        |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
| १            | ४७-७५/९/१७   | सरकारी निकाय बोर्डलाई नि :शर्त चालु अनुदान ( वाजुरा क्याम्पस)  | ३९०००.००     | फिर्ता दाखिला हुनुपर्ने              |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
| ४            | ९-०७६/३/१२   | निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अर्न्तगत डिलासैनी देखि डाँडावाडा सम्मको बाटो निर्माण गर्दा उस अध्यक्ष श्री आइते लुहार बाट पेश भएको डोर हाजिरी वापतको भुक्तानीमा रकम बुझाएको भरपाईमा दस्तखत नरहेको | २६१०००.००    | बुझेको प्रमाण एकिन गरी पेश हुनुपर्ने |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
|              |  | जम्मा  | ३०००००.००    |                                      |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
| ३६.          | <b>नर्स तथा नापी :</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । गाँउपालिकाले भुक्तानी गरेकोमा देहाय बमोजिम भएको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने रु.  | १४२०९१.०   |              |                                      |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
|              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.न./मिति</th> <th>विवरण</th> <th>असुल गर्नुपर्ने रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१-०७५/५/२२</td> <td>भवन निर्माणको तेस्रो रनिड विलमा स्टोन म्यासनरी वर्क आइटमको डिडक्सन कोलममा १५.४७२६ घटाउनुपर्नेमा १४.३६९८ घटाएको हुँदा बढि १.११ घनमिटर को रु. १२५००। का दरले हुने रु. १३८७५। असुल गर्नुपर्ने</td> <td>१३८७५.००</td> </tr> <tr> <td>२९-०७५/१०/२७</td> <td>अम्लीस मावि कम्पाउण्ड निर्माणको नापी कितावको आइटम नं. १ मा माटो खन्ने कार्यको १५ इकाईको दररेट ५४०.७५ हुनुपर्नेमा ६२१.८६ गरि बढी भुक्तानी भएको रु. १२१६। तथा आइटम नं. २ मा stone masonry 1:4 कार्यमा ३३.७५ इकाईको दररेट १४७४६.१७ हुनुपर्नेमा १८५१०.८६ का दरले बढि भुक्तानी भएको रु.१२७०००। असुल हुनुपर्ने रु.</td> <td>१२८२१६.००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>१४२०९१.००</td> </tr> </tbody> </table> | भौ.न./मिति   | विवरण        | असुल गर्नुपर्ने रु.                  | १-०७५/५/२२   | भवन निर्माणको तेस्रो रनिड विलमा स्टोन म्यासनरी वर्क आइटमको डिडक्सन कोलममा १५.४७२६ घटाउनुपर्नेमा १४.३६९८ घटाएको हुँदा बढि १.११ घनमिटर को रु. १२५००। का दरले हुने रु. १३८७५। असुल गर्नुपर्ने | १३८७५.००   | २९-०७५/१०/२७   | अम्लीस मावि कम्पाउण्ड निर्माणको नापी कितावको आइटम नं. १ मा माटो खन्ने कार्यको १५ इकाईको दररेट ५४०.७५ हुनुपर्नेमा ६२१.८६ गरि बढी भुक्तानी भएको रु. १२१६। तथा आइटम नं. २ मा stone masonry 1:4 कार्यमा ३३.७५ इकाईको दररेट १४७४६.१७ हुनुपर्नेमा १८५१०.८६ का दरले बढि भुक्तानी भएको रु.१२७०००। असुल हुनुपर्ने रु. | १२८२१६.०० |                         | जम्मा   | १४२०९१.००  |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
| भौ.न./मिति   | विवरण  | असुल गर्नुपर्ने रु.  |              |                                      |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
| १-०७५/५/२२   | भवन निर्माणको तेस्रो रनिड विलमा स्टोन म्यासनरी वर्क आइटमको डिडक्सन कोलममा १५.४७२६ घटाउनुपर्नेमा १४.३६९८ घटाएको हुँदा बढि १.११ घनमिटर को रु. १२५००। का दरले हुने रु. १३८७५। असुल गर्नुपर्ने   | १३८७५.००   |              |                                      |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
| २९-०७५/१०/२७ | अम्लीस मावि कम्पाउण्ड निर्माणको नापी कितावको आइटम नं. १ मा माटो खन्ने कार्यको १५ इकाईको दररेट ५४०.७५ हुनुपर्नेमा ६२१.८६ गरि बढी भुक्तानी भएको रु. १२१६। तथा आइटम नं. २ मा stone masonry 1:4 कार्यमा ३३.७५ इकाईको दररेट १४७४६.१७ हुनुपर्नेमा १८५१०.८६ का दरले बढि भुक्तानी भएको रु.१२७०००। असुल हुनुपर्ने रु.   | १२८२१६.००  |              |                                      |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
|              | जम्मा  | १४२०९१.००  |              |                                      |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |
| ३७.          | <b>विल विजक नरहेको :</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (६) मा उपभोक्ता समितिले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्यांकन, विल, भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात त्यस्तो समितिको बैठकबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ (३) मा खर्च गर्दा खर्चको विल भरपाई सहित लेखा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले मेशिन प्रयोग गर्ने गरी लागत अनुमान तयार गरेकोमा २ आयोजनाको रु. ५९९१८२०। भुक्तानी दिँदा उपभोक्ता समितिबाट डोजरको स्वामित्व भएको कम्पनीबाट मुअकर सहितको कर विजक जारी गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्नेमा सो नगरी संभौताको आधारमा भाडा मानी १० प्रतिशत बहाल कर कट्टा गरेको देखियो । बाँकी योजनाहरूमा बहाल कर १० प्रतिशत कट्टा नगरेको भए सो एकिन  |  |              |                                      |              |  |            |  |  |           |                         |   |            |  |            |   |          |  |       |           |          |  |

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
|     | गरी कट्टा गर्नुपर्दछ । साथै, आगामी भुक्तानी दिँदा नियमानुसार डोजरको स्वामित्व भएको कम्पनीबाट कर विजक लिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।   |           |
| ३८. | <b>शिक्षक तलव :</b> आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ (३) खर्च गर्दा खर्चको विल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले शिक्षकहरुको तलव भत्ताको प्रथम चौमासिक निकासा गर्दा सम्बन्धित विद्यालयबाट पेश हुनुपर्ने मागफारम पेश नगरी रु. १६७२९२१०। भुक्तानी गरेको देखियो । मागफारम स्विकृत गराई भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।  |           |
| ३९. | <b>डिजिटल प्रोफाइल :</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । गाँउपालिकाले पार्श्वचित्र तयार सम्पन्न भएको भनि स्मार्ट टेक नेपाल प्रा.लि.लाई भौ.न. १२०-०७६।३।३१ बाट रु. १९५३६४०। भुक्तानी गरेको देखियो । लेखापरीक्षणको समयमा पार्श्वचित्रको नमुनामात्र प्राप्त भएको र भुक्तानी दिँदा कुनै शर्त उल्लेख गरेको देखिएन । कार्यसम्पन्न नभई भुक्तानी गर्दा उक्त योजनाबाट सम्पन्न हुने पर्याप्त आधार देखिएन । कार्यालयले यस सम्बन्धमा आवश्यक विचार गरि कार्यसम्पन्न गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएकोमा कम्प्युटरमा इन्स्टलेशन गर्न मात्र बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएकोले सो गरी प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।   |           |
| ४०. | <b>युवा स्वरोजगार कोष :</b> आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नगरसभाले स्वीकृत गरेको कार्यक्रमको भावना अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ । यस पालिकाको गाउँसभाले युवास्वरोजगार कोष मार्फत युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले युवा स्वरोजगार घुम्ती कोष संचालन निर्देशिका २०७४ जारी गरेको छ । यस अनुसार यो वर्ष प्रत्येक वडाको लागि रु. १५ लाखका दरले रु. ९० वजेट विनियोजन गरी खर्च गरेकोमा देखिएका व्यहोरा देहायनुसार देखिएका छन् ।<br>१. युवा स्वरोजगार कोष संचालन कार्यविधि, २०७४ मा पालिकाले ६ प्रतिशत व्याजमा सहकारी संस्थाहरुलाई लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख भएको र सहकारी संस्थाले १२ प्रतिशत व्याज दिने र १८ प्रतिशत सम्ममा लगानी गर्ने गरेको बुझिएकोले ६ प्रतिशत व्याज पालिकाले लिने र १२ प्रतिशतमा युवालाई लगानी गर्नु स्वाभाविक हुने भएकोले पालिकाले ६ प्रतिशत व्याज प्राप्त गर्नुपर्दछ ।<br>२. पालिका र सहकारी संस्था विच भएको संभौता अनुसार युवाहरुलाई लगानी गर्दा १२ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज लिन नापइने व्यवस्था भएपनि सो भन्दा बढि व्याज लिएको बुझिएकोले सो सम्बन्धमा छानविन गरी संभौता अनुसार मात्र व्याज लिन दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।<br>३. देहायका ५ वटा सहकारी संस्थाका वित्तीय विवरणमा पालिकाबाट ऋण लिएको हिसाव देखाउने र संभौता पनि तदनुसार संशोधन गरी संभौता अद्यावधिक गर्नु पर्ने रु.<br>३.१. मिलेमतो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड रु. १५००००।<br>३.२. गौमुल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड रु. १५००००।<br>३.३. नौमुल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड रु. १५००००।<br>३.४. एकिकृत मानाकोट लेकाली सहकारी संस्था लि. रु. ३०००००।<br>३.५. सुर्योदय सहकारी संस्था लिमिटेड रु. १५००००।<br>४. यो वर्ष सहकारी व्यवस्थापन खर्च प्रति सहकारी रु.१ लाख २० हजारका दरले रु. ६ लाख दिएको समेतको आधारमा उल्लेखित युवा स्वरोजगार कार्यक्रम प्रभावकारीरूपले संचालन हुनुपर्ने समेत देखिएको छ । | ९०००००.०  |
| ४१. | <b>भौ.न. ११८-०७६।३।३१ :</b> गाँउपालिकाले ६ वटा वडामा इन्टरनेट सेवा पुऱ्याउन नर्मदा इन्फोसिस सँग सामान खरिद गर्दा मुअकर ऐन, २०५२ अनुसार मुअकर नलाग्ने सोलार प्यानल रु. १२०००। खरिद गर्दा मुअकर वापत रु. १५६८०। भुक्तानी गरेको हुँदा सो असुल गरि संघीय राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रु.  | १५६८०.००  |
| ४२. | <b>प्रशिक्षक भत्ता :-</b> नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय कार्यसञ्चालन निर्देशिकाको प्रकरण ७.१.१५ मा सवै प्रकारका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार केन्द्रीयस्तर/क्षेत्रीयस्तर, जिल्लास्तर, स्थानीयस्तरमा सञ्चालनको लागि नर्मसको व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले आ.व. २०७५/७६ मा सञ्चालन गरेको जुनेटिक रोगवारे जनचेतना अभिवृद्धि गोष्ठी कार्यक्रममा ६ वटा विद्यालयमा सञ्चालन गरेवापत ना.प.स्वा.प्रा. महादेव भट्ट प्रशिक्षण वापत १२ वटा सेशनको रु ७००। का दरले लिनुपर्नेमा १५००। का दरले रु.१८०००। नर्मसभन्दा बढी प्रशिक्षण भत्ता लिएको देखियो । नर्मसभन्दा बढी भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएकोले सम्बन्धितबाट बढी रकम रु. ९६००। असुल गर्नु रु.  | ९६००.००   |
| ४३. | <b>शीर्षक फरक पारी खर्च गरेको :</b> स्वीकृत वजेट र कार्यक्रमको सीमाभित्र रही सम्बन्धित खर्च शीर्षकबाट खर्च गर्नुपर्नेमा पालिकालेराजस्व वाडफाँड शीर्षकको २२४१९ अन्य सेवा शुल्क शीर्षकमा रु ४ लाख विनियोजन गरेकोमा रु. ५,१२,९८०।००खर्च लेखेको देखिएकोलेविनियोजित रकम भन्दा बढी खर्च लेखेको रु ११२९८०।०० नियमति गर्नुपर्ने देखिएको रु.  | ११२९८०.०० |

| ४४.           | <p><b>गाडी भाडा :</b> आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४५ मा खर्च गर्दा निकास दिँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले खर्च गर्दा मितव्यायिता र औचित्यता समेत विचार गरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि देहायबमोजिमका भौ.नं. र मितिबाट गाडी भाडा खर्च लेखेकोमा कतिपय भुक्तानीमा लाग्ने दिन र अवधि नखुलाको, प्रयोग गरेको मिति नखुलेको, भाडा दर फरक फरक भएको, सम्झौता नगरी ब्लु बुक र सवारी चालक अनुमतिपत्र मात्र संलग्न गरि गाडी प्रयोग गरी रु. १७७०००। खर्च लेखेको देखिएको छ । यस्तो कार्यमा नियन्त्रण तथा सुधार हुनुपर्दछ ।</p> <table border="1" data-bbox="164 353 1189 629"> <thead> <tr> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>विवरण</th> <th>भाडा रकम</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१८२-०७६/२/२</td> <td>कार्यालय प्रयोजनका लागि</td> <td>३००००.००</td> <td>नेपालगंज देखि गाउपालिका सम्म</td> </tr> <tr> <td>१८२-०७६/२/२</td> <td>कार्यालय प्रयोजनका लागि</td> <td>२००००.००</td> <td>गाउपालिका बाट धनगढी</td> </tr> <tr> <td>२०५-०७६/२/१०</td> <td>प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि खर्च</td> <td>५००००.००</td> <td>बाजुराबाट धनगढी सम्मका लागि रिजर्भ</td> </tr> <tr> <td>२१९-०७६/३/५</td> <td>कार्यालय प्रयोजनका लागि</td> <td>७७०००.००</td> <td>धनगढी देखि बाजुरा लगायत विभिन्न</td> </tr> <tr> <td colspan="2">जम्मा:</td> <td>१७७०००.०</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  | भौ.नं. र मिति    | विवरण   | भाडा रकम         | कैफियत           | १८२-०७६/२/२      | कार्यालय प्रयोजनका लागि | ३००००.००             | नेपालगंज देखि गाउपालिका सम्म | १८२-०७६/२/२                                       | कार्यालय प्रयोजनका लागि | २००००.०० | गाउपालिका बाट धनगढी      | २०५-०७६/२/१० | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि खर्च | ५००००.०० | बाजुराबाट धनगढी सम्मका लागि रिजर्भ | २१९-०७६/३/५      | कार्यालय प्रयोजनका लागि | ७७०००.००                                      | धनगढी देखि बाजुरा लगायत विभिन्न | जम्मा: |                                       | १७७०००.० |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
|---------------|--|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|-------------------------|----------|--------------------------|--------------|--|----------|------------------------------------|------------------|-------------------------|---|---------------------------------|--------|---------------------------------------|----------|----------------------------|----|---|-------------------|-----|----------------------------|----|----|------------------|-----|----------------------------|----|-------|--|-----|--|-----|-----------|
| भौ.नं. र मिति | विवरण  | भाडा रकम         | कैफियत  |                  |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
| १८२-०७६/२/२   | कार्यालय प्रयोजनका लागि  | ३००००.००         | नेपालगंज देखि गाउपालिका सम्म                      |                  |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
| १८२-०७६/२/२   | कार्यालय प्रयोजनका लागि  | २००००.००         | गाउपालिका बाट धनगढी                               |                  |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
| २०५-०७६/२/१०  | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि खर्च   | ५००००.००         | बाजुराबाट धनगढी सम्मका लागि रिजर्भ                |                  |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
| २१९-०७६/३/५   | कार्यालय प्रयोजनका लागि  | ७७०००.००         | धनगढी देखि बाजुरा लगायत विभिन्न                   |                  |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
| जम्मा:        |  | १७७०००.०         |   |                  |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
| ४५.           | <p><b>निशुल्क औषधी:</b> २६।२०७५।१।१ आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४५ को खण्ड (च) मा सरकारी जिन्सी सामानको दुरुपयोग हुन नपाउने गरी आन्तरीक नियन्त्रण व्यवस्था अपनाउनु पर्ने उल्लेख छ । संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समितिले पनि नेपाल सरकारबाट निशुल्क रुपमा वितरण हुने औषधिमा नेपाल सरकारबाट निशुल्क वितरणको लोगो लगाउनु पर्ने निर्देशन दिएको छ । यसरी लोगो नलगाइएको कारणले रु. ४२८७३०। बराबरका ती औषधीबाट कुनै व्यक्तिले फाइदा हुने गरी प्रयोग गर्न नसक्ने र निशुल्क वितरणको लोगो नलागाएमा दुरुपयोग हुन सक्ने भएकोले सो सुनिश्चित हुने गरी निशुल्क वितरणको लोगो प्रयोग हुनुपर्दछ ।</p>   |                  |   |                  |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
| ४६.           | <p><b>शीर्षक फरक पारी खर्च गरेको:-</b> आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ३५(२) मा स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको सीमाभित्र रही सम्बन्धित खर्च शीर्षकबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयलेनिम्न कृषि शिर्षकबाट कार्यक्रम परिवर्तन गरि सभाबाट अनुमोदन नगराई खर्च लेखेको रु २४१०००।- अनियमित देखियो ।</p> <table border="1" data-bbox="164 1055 1305 1402"> <thead> <tr> <th>सि नं</th> <th>सभाबाट स्वीकृत योजना</th> <th>बजेट (रु.हजारमा)</th> <th>परिमार्जित योजना</th> <th>बजेट (रु.हजारमा)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>सीमि ढूवानीमा अनुदान</td> <td>६१</td> <td>सुदुरपश्चिम महोत्सवमा सहभागि हुने सहकारीलाई सहयोग</td> <td>६१</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>आलुखेती विउ खरीद र वितरण</td> <td>२५</td> <td>स्याउ विरुवा खरिद</td> <td>२५</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>अगुवा कृषक तालिम</td> <td>१००</td> <td>स्याउमा थोपा सिचाई ढूवानी तथा व्यवस्थापन खर्च</td> <td>१००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>आलु परिकार प्रशोधन सामग्री व्यवस्थापन</td> <td>५०</td> <td>प्रारंभिक कृषि मेला अनुदान</td> <td>२०</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>नर्सरी व्यवस्थापन</td> <td>२००</td> <td>प्रारंभिक कृषि मेला अनुदान</td> <td>२०</td> </tr> <tr> <td>५.</td> <td>अनुगमन तथा भत्ता</td> <td>१५०</td> <td>प्रारंभिक कृषि मेला अनुदान</td> <td>१५</td> </tr> <tr> <td colspan="2">जम्मा</td> <td>५८६</td> <td></td> <td>२४१</td> </tr> </tbody> </table>   | सि नं            | सभाबाट स्वीकृत योजना                              | बजेट (रु.हजारमा) | परिमार्जित योजना | बजेट (रु.हजारमा) | १                       | सीमि ढूवानीमा अनुदान | ६१                           | सुदुरपश्चिम महोत्सवमा सहभागि हुने सहकारीलाई सहयोग | ६१                      | २        | आलुखेती विउ खरीद र वितरण | २५           | स्याउ विरुवा खरिद                          | २५       | ३                                  | अगुवा कृषक तालिम | १००                     | स्याउमा थोपा सिचाई ढूवानी तथा व्यवस्थापन खर्च | १००                             | ४      | आलु परिकार प्रशोधन सामग्री व्यवस्थापन | ५०       | प्रारंभिक कृषि मेला अनुदान | २० | ४ | नर्सरी व्यवस्थापन | २०० | प्रारंभिक कृषि मेला अनुदान | २० | ५. | अनुगमन तथा भत्ता | १५० | प्रारंभिक कृषि मेला अनुदान | १५ | जम्मा |  | ५८६ |  | २४१ | २४१०००.०० |
| सि नं         | सभाबाट स्वीकृत योजना   | बजेट (रु.हजारमा) | परिमार्जित योजना                                  | बजेट (रु.हजारमा) |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
| १             | सीमि ढूवानीमा अनुदान   | ६१               | सुदुरपश्चिम महोत्सवमा सहभागि हुने सहकारीलाई सहयोग | ६१               |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
| २             | आलुखेती विउ खरीद र वितरण   | २५               | स्याउ विरुवा खरिद                                 | २५               |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
| ३             | अगुवा कृषक तालिम   | १००              | स्याउमा थोपा सिचाई ढूवानी तथा व्यवस्थापन खर्च     | १००              |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
| ४             | आलु परिकार प्रशोधन सामग्री व्यवस्थापन  | ५०               | प्रारंभिक कृषि मेला अनुदान                        | २०               |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
| ४             | नर्सरी व्यवस्थापन  | २००              | प्रारंभिक कृषि मेला अनुदान                        | २०               |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
| ५.            | अनुगमन तथा भत्ता   | १५०              | प्रारंभिक कृषि मेला अनुदान                        | १५               |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
| जम्मा         |  | ५८६              |   | २४१              |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |
| ४७.           | <p><b>सामाजिक सुरक्षा अनुदान :</b> सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ को नियम ६ मा सुविधा उपयोग गर्न इच्छुक र योग्य नागरिकले अनिवार्य रुपमा परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । साविकमा परिचयपत्र लिएका व्यक्तिहरूले समेत आगामी आर्थिक वर्षमा भत्ता पाउनको लागि तोकिएको मितिभित्र परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा नबिकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको नियम ६(२) मा चालु आर्थिक वर्षको आषाढभित्र उमेर पुग्ने नागरिकहरूले नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गतेसम्म दरखास्त दिनुपर्ने र दरखास्त दिएका लक्षित समुहलाई नगरपालिकाले निर्देशिका अनुसार परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा आर्थिक वर्षको श्रावण १ देखि परिचयपत्र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा रु १३१४७०००। सामाजिक सुरक्षा खर्च लेखेको छ । सामाजिक सुरक्षा अनुदान प्राप्त गर्नेहरूको अनलाईन डाटावेस तयार गरी सोही आधारमा खर्च तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । साथै वडा कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हालसम्म बैंक मार्फत वितरण गरेको देखिएन । बैंक मार्फत हितकारी व्यक्तिको खातामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा देखिएका थप व्यहोराहरू निम्नानुसार छन :</p> <p>सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि यस कार्यालयलाई रु. १ करोड ३१ लाख ४७ हजार बजेट विनियोजन भई रु.१ करोड ३० लाख ६३ हजार २ सय निकास/खर्च भई रु. ८३ हजार ८ सय संघीय संचित कोषमा फिर्ता भएको पाइयो । पेशकी फाँटवारी परीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोराहरू देहाय अनुसार छन :</p> <p>क) बैंक मार्फत बाहेक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नपाइनेमा पेशकी दिई वितरण गरेको पाइयो ।</p> |                  |   |                  |                  |                  |                         |                      |                              |   |                         |          |                          |              |  |          |                                    |                  |                         |   |                                 |        |                                       |          |                            |    |   |                   |     |                            |    |    |                  |     |                            |    |       |  |     |  |     |           |

|            | <p>ख) MIS विवरणमा एकै वडामा एकै नाम र नागरिकता नं. भएका तथा एउटै नागरिकता नं. भएका दुई भन्दा बढी मानिसहरुका विवरण समेत अपलोड भएको पाइएकोले नमूना परीक्षण गर्दा केहीको दोहोरो नाम हटाई वितरण गरेतापनि दोहोरो भुक्तानी हुने सम्भावना बढी हुनाले दोहोरो प्रकृतिका नाम र नागरिकता नं. का सामाजिक सुरक्षा पाउनेको विवरण एकिन गरी वितरण गर्नु पर्दछ । यस सम्बन्धमा पालिकाले छानविन गर्नुपर्दछ ।</p>  |             |             |     |        |    |                              |             |             |    |                                     |            |  |  |       |             |  |                   |
|------------|--|-------------|-------------|-----|--------|----|------------------------------|-------------|-------------|----|-------------------------------------|------------|--|--|-------|-------------|--|-------------------|
| <p>४८.</p> | <p><b>उपभोक्ता समिति :</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(१) बमोजिम एक करोड रुपैयासम्मको काम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट गराउन सकिने व्यवस्था भएकोमा उपभोक्ता समिति मार्फत पालिकाले विभिन्न निर्माण कार्य गराएकोमा देखिएका व्यहोराहरु देहाय अनुसार छन :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● उपभोक्ता समितिले कार्यालयले तयार गरेको लागत अनुमान अनुरूप सम्झौता गरेकोमा एक्साभेटर प्रयोग गरी मेशिनबाट कार्य गराउँदा सम्बन्धित एक्साभेटर/डोजर धनिसंग दररेट माग गर्ने र सम्झौता गरी घटीवालासंग नगरी सोभै कार्य गराएको ।</li> <li>● उपनियम ७ बमोजिम उपभोक्ता समितिले आफूले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको सूचना सार्वजनिक स्थानमा टाँस नगरेको र उपभोक्ता भेलाबाट खर्चको सार्वजनिकरण केही मात्रामा गरेपनि व्यवस्थित रुपमा श्रमिक संख्या, मालसामानको विवरण, मूल्य आदि खुलाई तयार नगरेको ।</li> <li>● नगरसभाले योजना छनौट गर्दा सभै रिपोर्टको आधारमा लागत अनुमान तयार भए पश्चात गर्नुपर्नेमा नगरसभाले बजेट विनियोजित गरेपश्चात योजना सभै र लागत अनुमान तयार गरेकोले लागत अनुमान र बजेटबीच तादम्यता नहुने देखिन्छ ।</li> <li>● योजनाको निर्माण कार्य शुरु हुनु पूर्व निर्माण कार्य भइरहेको अवस्था र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको देखिने गरी स्थलगत फोटोहरु सामेल गरी खर्चको पुष्ट्याई गर्नुपर्नेमा निर्माण कार्य शुरु हुनु पूर्वको फोटोहरु कुनै पनि योजनामा सामेल नभएको र निर्माण सम्पन्न अवस्थाको केही योजनाका फोटोहरु पेश भएपनि अधिकांशमा निर्माणको यथार्थता देखिने फोटो संलग्न गरेको छैन । खर्चको पुष्ट्याईका लागि उक्त प्रमाण सामेल गरी खर्च गर्नुपर्दछ ।</li> <li>● उपनियम ११ बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले खटाएको प्राविधिक कर्मचारीबाट त्यस्तो कामको जाँचपास गराई त्यस्तो निकायबाट प्राप्त अनुदान रकम र जनश्रमदानबाट व्यहोरिएको श्रम नगद वा जिन्सी समेत पुरै खर्चको विवरण सो निकायमा पेश गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता समितिले प्राविधिकबाट जाँचपास गराएपनि खर्चलाई प्रमाणित हुने गरी पूर्णरूपमा जनसहभागिता अंशको वील भरपाई राखेको छैन ।</li> </ul> <p>लागत अनुमान र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्दा प्राविधिकले कार्यालयले गर्ने कार्य, रकम र उपभोक्ता समितिबाट गर्ने कार्य र रकम नखुलाई एकमुष्ट रुपमा मात्र खुलाउने गरेको छ ।</p> |             |             |     |        |    |                              |             |             |    |                                     |            |  |  |       |             |  |                   |
| <p>४९.</p> | <p><b>पेशकी :</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(५) र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७४ र ७९ बमोजिम पेशकी लिने र कार्यविधि अपनाई तोकिएबमोजिम फछ्यौट गर्ने व्यवस्था छ । गाँउपालिकाले पेश गरेको विवरण अनुसार देहाय बमोजिमको पेशकी फछ्यौट भएको छैन । अतः नियमानुसार पेशकी दिई समयमा फछ्यौट गर्नुपर्दछ ।</p> <table border="1" data-bbox="165 1451 1187 1615"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td> <td>किरातेश्वर एण्ड जागृत जे.भि.</td> <td>११२२६०००.००</td> <td>मोविलाइजेशन</td> </tr> <tr> <td>२.</td> <td>आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. ३</td> <td>१७०००००.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>१२९२६०००.००</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | क्र.सं.     | विवरण       | रकम | कैफियत | १. | किरातेश्वर एण्ड जागृत जे.भि. | ११२२६०००.०० | मोविलाइजेशन | २. | आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. ३ | १७०००००.०० |  |  | जम्मा | १२९२६०००.०० |  | <p>१२९२६०००.०</p> |
| क्र.सं.    | विवरण  | रकम         | कैफियत      |     |        |    |                              |             |             |    |                                     |            |  |  |       |             |  |                   |
| १.         | किरातेश्वर एण्ड जागृत जे.भि.   | ११२२६०००.०० | मोविलाइजेशन |     |        |    |                              |             |             |    |                                     |            |  |  |       |             |  |                   |
| २.         | आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. ३  | १७०००००.००  |             |     |        |    |                              |             |             |    |                                     |            |  |  |       |             |  |                   |
|            | जम्मा  | १२९२६०००.०० |             |     |        |    |                              |             |             |    |                                     |            |  |  |       |             |  |                   |
| <p>५०.</p> | <p><b>प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम:</b> यस कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक बजेट रु. ३४०१०००। विनियोजन भएकोमा रु. ३२००५४९। खर्च गरि रु. २००४५९। बाँकी रहेकोमादेखिएको व्यहोरा देहाय बमोजिम रहेको छन ।</p> <p>क) १८ वर्ष देखि माथि ६० वर्षसम्मका आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्याका रुपमा मानिने र १८ देखि ६० वर्षसम्मका कुल जनसंख्या मध्ये २०५४ जना बेरोजगार रहेको अभिलेख छ । रोजगार कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ बमोजिम प्रत्येक पालिकामा रोजगार संयोजक रहने व्यवस्था भएपनि यस पालिकामा संयोजक नभएकोले कार्यान्वयन निर्देशिका अनुसार कार्य हुन नसकि वडा नं. १,२ र वडा नं. ६ ले निवेदन दिए बमोजिम सबै बेरोजगारको अभिलेख लिएको देखियो भने वडा नं. ३, ४, ५ ले प्रत्येक घरबाट एकजना बेरोजगारको लगत यथार्थ हुन सकेको देखिएन । यसले गर्दा प्रत्येक वडामा छुट भएको बेरोजगार छनौट प्रणालीमा समावेश हुन सकेनन् । यसर्थ रोजगार संयोजक सिध्न व्यवस्था गरी कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस कार्यक्रममा रु ३२००५४९।०० खर्च लेखेकोमा पालिका अन्तर्गत १८३ जनालाई ३० दिनको रु ५०९। का दरले रु २७९४४९।०। र अन्य प्रयोजनमा रु. ४०६९३९। भुक्तानी</p>   |             |             |     |        |    |                              |             |             |    |                                     |            |  |  |       |             |  |                   |



|     |   |          |
|-----|---|----------|
|     | <p>गरेको छ ।</p> <p>ख) नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले निकाशा गरे अनुर पनि खर्च गर्न नसकी रु. २००४५९। बाँकी रहेको अवस्था छ । तसर्थ बेरोजगारलाई रोजगारी पनि प्राप्त हुने र विकास निर्माणमा मद्दत पनि पुग्ने गरी कार्यक्रम समयमा नै तय गरी यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुपर्दछ ।</p> <p>ग) रकम भुक्तनी गर्दा रोजगारदाताको खातामा रकम जम्मा गरी खर्च लेख्नुपर्नेमा नागरिकताको प्रमाण समेत संलग्न नराखी १८३ जनालाई ३० दिनको भरपाई गरि रु २७९४४९०। खर्च लेखेको देखियो । यस सम्बन्धमा छलफल गर्दा यस पालिकामा बैंक नभएकोले बैंकमा कारोवार गर्न नसकेको कार्यालयले जनाएपनि निर्देशिका बमोजिम कार्य हुननसकेको देखिएको छ ।</p>  |          |
| ५१. | <p><b>आन्तरिक आय :</b> आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को परिच्छेद ४ दफा १२ र १३ ले राजस्वको अभिलेख अध्यावधिक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा १३(१) बमोजिम आफ्नो जिम्मा भएको सरकारी नगदीको हकमा सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट दाखिला गर्नुपर्ने उपदफा २ बमोजिम म्यादभित्र दाखिला गर्न नसके म्याद थपको अनुरोध गरेमा मनासिव भए म्याद थप हुनसक्ने र उपदफा ४ बमोजिम सो अनुरूप नगर्ने उपर जरिवाना एवं विभागीय कारवाही समेत गर्ने उल्लेख छ । यस वर्ष पालिका र अन्तर्गतका ६ वटा वडा कार्यालयबाट मालपोत, सिफारिस, पञ्जिकरण, लगायतका शीर्षकमा आन्तरिक आम्दानी गर्न प्रयोग गरेका रसिद र ठेलीको नगदी रसिद नियन्त्रण खातामा उल्लेख गरेपनि कुन कुन मन्वरका ठेली कस कसलाई बुझाएको भरपाई नभएको र कति ठेली खर्च कार्यालयमा फिर्ता भएबाट रु. ७४६६२२।८७ आन्तरिक आम्दानी गरेको सम्बन्धमा यकिन हुन सकेन । वडा कार्यालय, नगदी रसिद प्याड संख्या र बुझिलिनेको पद, नाम, थर समेत खुल्ने गरी बुझाएको भरपाई नभएको र वितरण भएको जनाएका ठेली समेत कार्यालयमा फिर्ता भई उठेको रकम दाखिला भएको भिडान गर्ने म.ले.प. फा नं.१०८, १०८(क) समेतको लेखा नराखेबाट असूली भएको रकम दाखिला भएको छ, छैन यकिन गर्ने अवस्था रहेन । रकम प्रयोग भएको र प्रयोग हुन बाँकी रसिद यकिन गर्न छानविन गरी आन्तरिक आम्दानी दुरुस्त राख्नु पर्दछ ।</p> |          |
| ५२. | <p><b>सदरस्याहा :</b> आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७२ (२) बमोजिम धरौटी रकम मध्ये नाम नामेसी नखुलेको धरौटी फिर्ता गर्न वर्षमा एक पटक सूचना प्रकाशन गरी म्याद भित्र दाखिला गर्न नआएमा राजश्व दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सो अनुसार नगरेकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटीरु. ८७४९८।०० एकिन हुनुपर्ने अन्यथा सदरस्याहा गरी राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p>  | ८७४९८.०० |

गौमुल गाउँपालिकाको यो वर्षको बेरुजू बर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

२०७५/७६

(रु.हजारमा)

| जिल्ला | स्थानीय तहको नाम | प्रारम्भिक बेरुजू |      |       | प्रतिक्रियावाट फछ्यौट |      |     | बाँकी बेरुजू |      |       | बाँकी बेरुजू    |                   |              |                         |                               |                 |       |          |       |
|--------|------------------|-------------------|------|-------|-----------------------|------|-----|--------------|------|-------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|----------|-------|
|        |                  | दफा संख्या        |      | रकम   | दफा संख्या            |      | रकम | दफा संख्या   |      | रकम   | अशुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने |              |                         |                               |                 | पेशकी |          |       |
|        |                  | सैदान्तिक         | लगती |       | सैदान्तिक             | लगती |     | सैदान्तिक    | लगती |       |                 | रकम               | अनियमित भएको | प्रमाण कागजात पेश नभएको | राजश्व लगत जिम्मेवारी नसारेको | सोधभर्ना नलिएको | जम्मा | कर्मचारी | अन्य  |
| बाजुरा | गौमुल गाउँपालिका | ३५                | १५   | २३३९० | ०                     | ०    | ०   | ३५           | १५   | २३३९० | ७३३             | ३५४               | ९३७७         | ०                       | ०                             | १०४६४           | ०     | १२९२६    | १२९२६ |

गौमुल गाउँपालिकाको सञ्चित कोष विवरण

२०७५/७६

अनुसूची - २

(रु.हजारमा)

| क्र. सं. | स्थानीय तह       | जिल्ला | आय                   |                 |                            |         | जम्मा आय | व्यय      |              |           |            | मौज्दात |
|----------|------------------|--------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------|-----------|------------|---------|
|          |                  |        | गत वर्षको जिम्मेवारी | समानिकरण अनुदान | सशर्त तथा अन्य बजेट अनुदान | अन्य आय |          | चालु खर्च | पूँजीगत खर्च | अन्य खर्च | जम्मा खर्च |         |
| १        | गौमुल गाउँपालिका | बाजुरा | १२७८८                | ६३३००           | १९०३३२                     | ०       | २५३६३२   | ३९९९१     | ६५९९९        | १४७०३१    | २५३०२०     | १३३९९   |

अद्यावधिक बेरुजू स्थिति

२०७५/७६

अनुसूची - ३

(रु.हजारमा)

| स्थानीय तह       | जिल्ला | गत वर्ष सम्मको बाकी | यो वर्षको फछ्यौट | बाँकी | यो वर्ष सं.प.वाट कायम भएको बेरुजू | यो वर्षको बेरुजू | कुल बाँकी बेरुजू |
|------------------|--------|---------------------|------------------|-------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| गौमुल गाउँपालिका | बाजुरा | २४५२९               | ०                | २४५२९ | ०                                 | २३३८९            | ४७९१८            |